

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक:जीवि/परीक्षा-2/गोपनीय/2025/2672

दिनांक : 01.06.2025

// अधिसूचना //

सर्व सम्बंधित के सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि कुछ महाविद्यालयों द्वारा विधि संकाय के कुछ छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय विधि पाठ्यक्रम के अध्यादेश का पालन नहीं किया गया है तथा उनके परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किए गए हैं। ऐसे समस्त परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा सभी प्राचार्यों एवं केन्द्राध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह परीक्षा प्रारम्भ होने से 02 घण्टे पूर्व नवीनतम डॉकिट निकाल कर तदानुसार परीक्षा सम्पन्न करायें। जिन विद्यार्थियों के रोलनम्बर नवीनतम डॉकिट में हैं केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करें। यदि कोई छात्र अध्यादेश के अनुसार पात्र नहीं है तो उसकी परीक्षा निरस्त मान्य होगी।

यदि कोई छात्र विधि पाठ्यक्रम के अध्यादेश के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखता है तो वह अपनी समस्त अंकसूचियों के साथ दिनांक 02.06.2025 तक संबंधित शाखा प्रभारी से परीक्षण कराकर सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जिससे नियमानुसार प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

समस्त सम्बंधित अवगत हो।

आदेशानुसार



परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष, विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. प्राचार्य, समस्त संबंधित महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. माननीय कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री एच0के0 द्विवेदी, प्रभारी आई0टी0 सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)